77/2024

07.07.2025 प्रार्थी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थी स्वंय द्वारा उपस्थित होकर अपना वाद जरिये राजीनामा के विड्रो करने का निवेदन किया।

प्रार्थी एवं उनके वकील की बहस है कि उक्त आवेदन के जरिये वादग्रस्त भूमि के संबंध में बैंक रहन व राजकीय कल्याणकारी योजानाओं का लाभ स्थगन होने की वजह से प्राप्त नहीं कर पा रहे है और प्रभावी स्थगन होने से उन्हें वंचित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन को विड्रो करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवेदन को जरिये विड्रो खारिज किया जाये।

हमने प्रार्थी वकील के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, चूंकि प्रार्थी वकील बैंक रहन इत्यादि लाभकारी योजनाओं से स्थगन की आड़ में वंचित रह रहे है, अब अपनी इच्छा से स्थगन के आवेदन को विड्रो खारिज करवाना चाहते है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना अदालत उचित समझती है।

अतः प्रार्थी एवं उनके वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त आवेदन इसी स्तर पर जरिये विड्रो के खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
SDO रिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:32:50 IST
Reason: SelfAttested